पशुसंवर्धन विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या
विविध सेवांच्या सेवाशुल्कात सुधारणा
करण्याबाबत.

**महाराष्ट्र शासन**
**कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग,**
**शासन निर्णय क्रमांक- व्हीएचडी-२०२१ /प्र.क्र. १८८/पदुम-४**
**मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक ,**
**मंत्रालय, मुंबई -४०००३२**
**दिनांक :- २३ मे, २०२२**

**वाचा :-** १) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-१०९९/सीआर-१८३/ पदुम-४, दि.६.०४.२०००.
२) शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-१००७/सीआर-५२८/पदुम-४, दि.१२.११.२००७.
३) शासन निर्णय क्र.एलव्हीएस-२०१५/सीआर-९३/पदुम-४, दि.१४.०९.२०१५.
४) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.डीडीडी/तांत्रिक-२/ ३१/६६८३/२०२१/पसं-१२, पुणे दि.१७.११.२०२१.
५) पत्र क्र.डीडीडी/तांत्रिक-२/३१/७१६७/२०२१/पसं-१२, पुणे दि.२७.१२.२०२१.

**प्रस्तावना :-**

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत सर्व प्रकारच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत शेतकरी / पशुपालक यांचेकडील रूग्ण पशु-पक्ष्यांना विविध पशुवैद्यकीय सेवा देण्यासाठी सेवाशुल्काचे दर निश्चित करण्यात आलेले असून त्यास बराच कालावधी लोटलेला आहे. रुग्ण पशुंवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकारच्या औषधी, शल्यचिकित्सेसाठी आवश्यक हत्यारे, उपकरणे, अवजारे इ. च्या किंमतीत मागील काही वर्षात वाढ झालेली आहे.

२. पशुसंवर्धन विभागांतर्गत रुग्ण पशु-पक्ष्यांवर उपचार करण्यासाठी सध्या आकारण्यात येत असलेल्या विविध सेवांसाठीच्या सेवाशुल्काच्या दरात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

३. वर नमुद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेवून पशुसंवर्धन विभागामार्फत देण्यात येत असलेल्या विविध सेवांच्या सेवाशुल्कासंदर्भात वाचा अनुक्रमांक १, २ व ३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करून खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

**शासन निर्णय :-**

(I) राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत शेतकरी / पशुपालक यांच्याकडील रूग्ण पशु-पक्ष्यांना विविध पशुवैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आकारावयाच्या सेवाशुल्कांच्या सुधारीत दरांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे असून, सदरचे दर हे प्रति पशु, पक्षी, तपासणी, चाचणीसाठीचे आहेत.

| अ.क्र. | बाब | सुधारित दर (रूपये) |
|---|---|---|
| १ | **पशुस्वास्थ विषयक सेवा केस पेपर शुल्क** | निशुल्क |
| | उपचार | १०/- |
| | खच्चीकरण (वळू, रेडा, वराह, बोकड व नर मेंढा) | १०/- |
| २ | **रोग प्रतिबंधक लसीकरण** | |
| | जनावरे (लहान तसेच मोठी) | १/- |
| | कुक्कुट पक्षी | १/- |

| | | |
|---|---|---|
| ३ | **शस्त्रक्रीया** | |
| | **लहान शस्त्रक्रीया** | |
| | कुत्री व मांजर | १००/- |
| | मोठी जनावरे (खच्चीकरण वगळून) | ५०/- |
| | वासरे, शेळी, मेंढी, वराह व इतर | २०/- |
| | **मोठ्या शस्त्रक्रीया** | |
| | कुत्री व मांजर | १५०/- |
| | मोठी जनावरे | ७०/- |
| | वासरे, शेळी, मेंढी, वराह व इतर | ५०/- |
| ४ | **कृत्रिम रेतन व अनुषंगिक सेवा** | |
| | कृत्रिम रेतन (दवाखान्यात) | ५०/- |
| | कृत्रिम रेतन (शेतकऱ्यांच्या दारात) | ५०/- |
| ५ | गर्भधारणा तपासणी (कृत्रिम रेतना व्यतिरिक्त) | १०/- |
| ६ | गायी / म्हशींतील वंध्यत्व तपासणी | १०/- |
| ७ | **रोग नमुणे तपासणी** | |
| | डी.एल.सी. | १०/- |
| | आरबीसी काऊंट | १०/- |
| | डब्ल्युबीसी काऊंट | १०/- |
| | रक्त काचपट्टी | १०/- |
| | शेण नमुने | १०/- |
| | मुत्र नमुने | १०/- |
| | स्क्रॅपिंग्ज | १०/- |
| | इतर (वरील चाचण्या व्यतिरिक्त) | १०/- |
| ८ | **रक्त व रक्तजल तपासणी** | |
| | ग्लुकोज | २०/- |
| | फॉस्फरस | २०/- |
| | क्रियॅटीनीन | २०/- |
| | कॅल्शियम | २०/- |
| | रक्तातील हिमोग्लोबीन | २०/- |
| ९ | उती नमुने तपासणी | १०/- |
| १० | पाणी, खाद्य, व्हिसेरा नमुन्याची विषबाधा तपासणी | १००/- |
| ११ | दुध नमुने तपासणी | १००/- |
| १२ | **क्ष-किरण तपासणी** | |
| | लहान जनावरे (कुत्री, मांजर, वासरे, शेळी, मेंढी, वराह व इतर) | १००/- |
| | मोठी जनावरे | १००/- |
| १३ | **सोनोग्राफी** | |
| | लहान जनावरांच्या प्रत्येक तपासणीकरिता (कुत्रे, शेळी, मेंढी, वराह व इतर लहान पशु) | १००/- |
| | सर्व मोठ्या जनावरांच्या प्रत्येक तपासणीकरिता | १००/- |
| १४ | **आरोग्य दाखले** | |
| | मोठी जनावरे | ५०/- |
| | लहान जनावरे | २०/- |
| १५ | महाराष्ट्र प्राणी रक्षण कायदा, १९७६ (सुधारणा १९९५) अंतर्गत अनुसूचित पशुंची कत्तलपुर्व तपासणी | २००/- |
| १६ | शवविच्छेदन (न्याय वैद्यक प्रकरण वगळून) | १००/- |

(II) गायी-म्हशींमधील दवाखान्यात तसेच शेतकऱ्यांच्या दारात केलेली कृत्रिम रेतने यासाठीच्या सेवाशुल्काची रक्कम प्रचलित पध्दतीनुसार महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर या संस्थेकडे भरणा करण्यात यावी.

(III) उपरोक्त प्रमाणे सुधारित सेवाशुल्काचे दर दि.२१.०६.२०२२ पासून अंमलात येतील.

४. आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी दर तीन वर्षांनी उपरोक्त सुधारित सेवाशुल्कांच्या दरात १० टक्के वाढ करुन तसे सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना आगावू परिपत्रित करण्यात यावे.

५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३६ / २०२२ दि.२०.०४.२०२२ अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२२०५२३१४४९५०१३०१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

**महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने,**

DR. SANJAY
VISHWANATHRAO
DOIJODE

Digitally signed by DR. SANJAY VISHWANATHRAO DOIJODE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=690002a7555559bb015f315b03adb3305c59fe381e4dcda1439d119129672733, pseudonym=B6831977DAFE9C462B1F5207DB8DC23334F34E62, serialNumber=5DBCE7AE3AC30F0E55C90CD14E851251037DC61F3291C80EA8638C44D41143AA, cn=DR. SANJAY VISHWANATHRAO DOIJODE
Date: 2022.05.23 15:01:28 +05'30'

**(डॉ. संजय वि. डोईजोडे)**
**अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन**

**प्रत,**

१. मा. मंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
२. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे.
४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, जुने वळू संगोपन केंद्र, बडा हनूमान मंदिराजवळ, सिव्हिल लाईन्स, तेलंगखेडी, नागपूर.
६. व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे.
७. पशुसंवर्धन सहआयुक्त, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राज्यस्तरीय रोग अन्वेषण विभाग, पुणे.
८. पशुसंवर्धन सहआयुक्त, पशुजैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे.
९. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन.
१०. पशुसंवर्धन उपायुक्त, गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई.
११. विभागीय व्यवस्थापक, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद (हर्सुल).
१२. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
१३. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद.
१४. सर्व सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा.
१५. सर्व सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय.
१६. सर्व सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय.
१७. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवधगृह, गोवंडी, देवनार.
१८. अवर सचिव (पदुम -३), कक्ष अधिकारी (पदुम १, २ व १६) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१९. निवड नस्ती (पदुम-४).